न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉं (राज.)

क्रमांक/रीडर II/2021/1282–1283 दिनांक 10 नवम्बर, 2021

निमित्त :–

जिला पुलिस अधीक्षक,
बारॉं

विषय :– प्रकरण संख्या 43/2017 किस्म इस्तगासा
अन्तर्गत राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3
बउनवान
राज0 सरकार जर्ये थानाधिकारी मांगरोल, जिला बारॉं
बनाम
नरेन्द्र उर्फ भाया पुत्र मोहनलाल तिवारी निवासी मांगरोल जिला बारॉं

प्रसंग :– आपका पत्रांक/एमओबी/2017/2849–51 दिनांक 30.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से गैरसायल के विरूद्ध इस न्यायालय में इस्तगासा अन्तर्गत राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत आप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण 02.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जर्ये सम्मन 22 बार तलब किया जा चुका है किन्तु थानाधिकारी मांगरोल जिला बारॉं द्वारा आदिनांक तक गैरसायल को सम्मन की तामील नहीं करवाई गई। इस बाबत् आपको भी इस न्यायालय के पत्रांक 1040–1041 दिनांक 04.10.2021 से सूचित कर दिया गया था।

अतः मूल इस्तगासा आपको इस न्यायालय से थानाधिकारी, मांगरोल द्वारा गैरसायल को सम्मन की तामील करवाने में असमर्थ रहने के कारण वापिस भिजवाया जा रहा है।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:46:42 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/रीडर II/2021/1282–1283 दिनांक 10 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
बारॉं